[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 15th March, 2005]

हरियाणा सरकार

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 मार्च, 2005

नं० 340-एस०डब्ल्यू०(4)2005.—1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना :—राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों, जरूरतमंद और कृषि मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, छोटे/सीमान्त किसान जैसे समाज के वर्गों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना 15-8-1995 से लागू की गई थी जोकि वर्ष 2002-03 से राज्य सरकारों को स्थानान्तरित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी रखने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु वृद्धावस्था पैंशन की राशि प्रतिमाह 75/-रुपये होगी और उतने ही वृद्ध व्यक्ति लाभान्वित होंगे जितनी कि भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इस उद्देश्य हेतु प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ताऊ देवीलाल वृद्धावस्था पैंशन योजना के अन्तर्गत 200/-रुपये के स्थान पर केवल 125/-रुपये प्रतिमास की दर से पैंशन दी जाएगी ताकि कुल बुढ़ापा पैंशन 200/-रुपये तक रहे। पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार से है :—

(I) पात्रता की शर्तें :—

1. (क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले एवं निराश्रित।
   (ख) आवेदक की आयु (पुरुष या महिला) 65 वर्ष या उससे अधिक होगी।
   (ग) हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
   (घ) किसी अन्य साधन से कोई सरकारी सहायता/पैंशन न प्राप्त कर रहा हो।
   (ङ) यदि पति/पत्नी दोनों योग्य हों तो दोनों पैंशन के पात्र होंगे।
   (च) जीवनयापन के लिए कोई अन्य साधन न हों।
2. **निम्नलिखित व्यक्ति पैंशन के पात्र नहीं होंगे :—**
   (क) श्रेणी-I एवं II अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके समकक्ष वेतन प्राप्त करने वालों के माता-पिता।
   (ख) आयकरदाता के माता-पिता।
   (ग) आवेदक/उसके बच्चे, भूतपूर्व/वर्तमान सांसद/विधायक/बोर्ड/बैंक अथवा निगमों के अध्यक्ष।
   (घ) डाक्टर, वकील, चार्टिड अकाउंटैंट, आयकर परामर्शी, प्रबन्धन परामर्शी अभियन्ता या वास्तुक, ठेकेदार इत्यादि के माता-पिता।
3. **आवेदन पत्रों का भरना :**—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना के आवेदनों को ताऊ देवीलाल वृद्धावस्था पैंशन योजना के भरे जाने वाले आवेदन-पत्रों के साथ ही उक्त शर्तों के तहत भरे जाएंगे तथा इन आवेदन पत्रों का अलग रजिस्टर-कम-ए० पी० आर० रिकार्ड सहित जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा रखा जाएगा।
4. **पैंशन का वितरण :**—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन का वितरण भी ताऊ देवीलाल वृद्धावस्था पैंशन योजना के वितरण की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. **विवादापस्द मामलों के निपटान हेतु जिला स्तरीय कमेटी की व्यवस्था होगी :—**

   (i) उपायुक्त — अध्यक्ष
   (ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य सचिव
   (iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी — सदस्य

6. संस्वीकृति पदाधिकारी को पात्रता के बारे में झूठी अथवा गलत सूचना के आधार पर संस्वीकृति किसी लाभपात्र की पैंशन का भुगतान रोकने/वसूल करने का अधिकार होगा।

(II) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर उस परिवार को एक मुश्त राशि उपलब्ध करवाने से है, जिससे उस परिवार को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस स्कीम के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे :—

1. इस योजना के तहत शोक संतप्त परिवार वह माना जायेगा, जो परिवार के मुख्य जीविकापार्जक की मृत्यु के समय सरकार के मापदण्डों के अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध सूची अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो या उसकी मृत्यु के 3 माह के अन्दर-अन्दर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची में सम्मिलित हो गया हो। इस स्कीम का लाभ बिना किसी जातीय भेदभाव के प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जायेगा। गरीबी रेखा की किसी विशेष श्रेणी जैसे—ए, बी, सी इत्यादि की अपेक्षा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला प्रत्येक परिवार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

2. **आवेदन-पत्र :**—आवेदक अपना आवेदन निर्धारित फार्म में, जोकि जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होगा, मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यह फार्म आवेदक को उक्त कार्यालय से निःशुल्क मिलेगा। आवेदन-पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड की प्रति, आयु के प्रमाण हेतु स्कूल प्रमाण-पत्र अथवा अन्य दस्तावेज तथा दो पासपोर्ट साईज़ के फोटो देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन-पत्र गांवों के पंच/सरपंच एवं नम्बरदार तथा शहरी क्षेत्रों में पार्षद द्वारा सत्यापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा एक शपथ-पत्र दिया जाएगा जिसमें मृत्यु की आयु, मुख्य जीविकापार्जक का उल्लेख होगा।

3. **आयु सीमा :**—परिवार के मुख्य जीविकापार्जक की आयु मृत्यु के समय 18 से 64 वर्ष अर्थात् 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम आयु वर्ग में होनी चाहिए।

4. **सहायता के लिए पात्रता :**—यह लाभ मृतक के परिवार में ऐसे जीवित सदस्यों को दिया जायेगा जिसे जांच उपरान्त परिवार का मुखिया माना जायेगा। परिवार शब्द से अभिप्राय पति/पत्नी/नाबालिग बच्चे/अविवाहित पुत्रियां और आश्रित माता-पिता माने जायेंगे। यदि किसी महिला के माता-पिता भी अपनी बेटी और दामाद के पास रह रहे हैं, तो वह भी परिवार का हिस्सा माना जायेगा। गलत सूचना के आधार पर यदि यह लाभ प्राप्त किया गया है तो प्राप्तकर्ता/आवेदक इसे जिला समाज कल्याण अधिकारी को तुरन्त लौटायेगा।

5. किसी परिवार के पुरुष मुख्य जीविकापार्जक की मृत्यु होने पर सामान्यत: सहायता राशि उसकी धर्मपत्नी को देय होगी और यदि पत्नी का स्वर्गवास पहले ही हो गया हो तथा बच्चे नाबालिग हों तो ऐसी स्थिति में यह रशि बच्चों के अभिभावकों को देय होगी, बशर्ते कि वह यह शपथ पत्र दें कि इस राशि को बच्चों के कल्याण के लिए, पालन-पोषण व शिक्षा आदि पर खर्च करेंगे।

6. यदि आवेदक आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को देने के उपरान्त शादी कर ले या स्थान छोड़कर हरियाणा राज्य से बाहर चला जाये, तो उसे यह लाभ नहीं दिया जायेगा।

   यदि किसी संयुक्त परिवार में राशन कार्ड में अथवा बी० पी० एल० की सूची में मृतक के पिता का नाम दर्ज है और जांच द्वारा यह पाया जाता है कि परिवार की आय का अधिकांश हिस्सा मृतक के द्वारा जुटाया जाता था तो ऐसी स्थिति में यह लाभ मृतक के पिता व मृतक की धर्मपत्नी को, यदि वह जीवित हैं तो संयुक्त रूप से दिया जायेगा। यह राशि दोनों को 50-50 प्रतिशत के रूप में दी जायेगी।

7. यदि राशन कार्ड के आधार पर संयुक्त परिवार है और मुखिया का नाम गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों की सूची में दर्ज है, इस परिवार के मुख्य जीविकापार्जक की मृत्यु होने पर वह परिवार इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का पात्र होगा यदि मुख्य जीविकापार्जक का नाम राशन कार्ड में हो, यद्यपि मृतक का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज नहीं है।

8. **आवेदन पत्र की जांच :**— आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गांववार रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे। तदोपरान्त इसकी जांच कार्यालय में कार्यरत अन्वेषक/तहसील कल्याण अधिकारी अथवा अन्य किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा करवाई जायेगी और जांच उपरान्त पात्र पाये जाने पर सम्बन्धित परिवार को आवश्यक सहायता राशि दी जायेगी। जिसका कार्यालय में अलग रजिस्टर तैयार किया जायेगा।

9. **वित्तीय सहायता :**— वर्तमान में प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिये 10,000/-रुपये की सहायता राशि देय होगी। भविष्य में इस बारे में जैसा भी सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा उसी के अनुसार यह राशि दी जायेगी।

10. **बैंक ड्राफ्ट :**—राशि का भुगतान कैश में नहीं किया जायेगा अपितु बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में लाभपात्र को दिया जायेगा।

11. **आडिट :**—सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि जारी करने से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी प्रत्येक केस का प्री-आडिट करेंगे। इसके उपरान्त उचित पाये जाने की दशा में ही वह आवेदक को राशि दिये जाने के बारे में स्पष्ट सिफारिश करेंगे। इस योजना के तहत विभागीय आडिट समयानुसार करवाया जायेगा।

12. **रिकार्ड :**— स्वीकृत केसों का रिकार्ड प्री-आडिट होने उपरान्त लेखाकार द्वारा रखा जायेगा तथा पावती रसीद भी उसके पास रखी जायेगी।

13. **गलत सूचना के आधार पर प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की वसूली :**— यदि किसी लाभपात्र ने आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेजों में गलत सूचना देकर लाभ प्राप्त कर लिया हो और बाद में किसी स्तर पर यह तथ्य विभाग के ध्यान में आता है तो कथित लाभपात्र से राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में सम्बन्धित कलैक्टर के माध्यम से करने का विभाग को अधिकार होगा।

डी० एस० ढेसी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
समाज कल्याण विभाग।

38826—C.S.—H.G.P., Chd.